क्रम संख्या–060 (ख)

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 17 मई, 2002 ई०
बैशाख 27, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या 427/प०आ०/2002–117 पर्य०/2001
देहरादून, 17 मई, 2002

अधिसूचना/प्रकीर्ण

प० आ०–048

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम की धारा, 2001 की धारा 20 (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय राज्य में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने एवं स्वरोजगारोन्मुखी योजना क्रियान्वित करने के लिये दी जाने वाली राजकीय सहायता को नियंत्रित करने तथा इस सहायता के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं को संचालित किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1–संक्षिप्त नाम/प्रारम्भ :–

1–यह नियमावली "उत्तरांचल में पर्यटन का उद्योग के रूप में विकास करने के लिये पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली–2002", कही जायेगी।

2–यह तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

2–परिभाषायें :–

जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "बेरोजगार", का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो तत्समय किसी व्यापार, उद्योग या वृत्ति में न लगा हो।

(ख) "उत्तरांचल", का तात्पर्य देहरादून, पौड़ी, टिहरी–गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर जिलों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों से है।

(ग) "योजना" का तात्पर्य उत्तरांचल में पर्यटन का उद्योग के रूप में विकास करने के लिये एवं इस राज्य के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु इस नियमावली के अधीन पूंजीगत राज सहायता देने की योजना से है।

(घ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है, और

(ङ) "यात्रा मार्ग" का तात्पर्य ऐसे मार्ग से है जो अन्तिम रेल पथ सीमा से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री (चार धाम) तथा अन्य पवित्र स्थानों और ऐसे ही उत्तरांचल प्रदेश के अन्य पर्वतीय स्थानों को जाता हो।

3—निधि का सृजन :—

राज्य विधान मण्डल के मतदान के अधीन रहते हुये प्रतिवर्ष पर्यटन विभाग के आय–व्ययक में से एकमुश्त धनराशि ऐसी योजनाओं के सम्बन्ध में जिन्हें चयन समिति द्वारा राज्य में पर्यटन उद्योग के रूप में विकसित करने के लिये अनुमोदित कर दिया गया हो, वित्तीय संस्थाओं, अभिकरणों और बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के प्रति या इस नियमावली के नियम–4 में विनिर्दिष्ट निजी उद्यमकर्ताओं द्वारा या अन्य स्रोतों द्वारा या विनियोजन के प्रति राजकीय सहायता के लिये पर्यटन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, देहरादून की अधिकारिता पर रखी जायेगी।

4—राजकीय सहायता दिये जाने हेतु पात्रता :—

इस नियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुये योजना के अधीन राजकीय सहायता निम्नलिखित पात्रता रखने वाले व्यक्ति को स्वीकृत की जा सकती है :—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को जो, उत्तरांचल क्षेत्र का मूल/स्थाई निवासी है।

(ख) जहां योजना क्रियान्वयन हेतु भूमि अपेक्षित हो, उस प्रयोजन हेतु भूमि का स्वामी हो।

(ग) किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का व्यतिक्रमी न हो।

(घ) इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित बेरोजगार महिलाओं और ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में पर्यटन का एक विषय के रूप में अध्ययन किया हो और ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा पर्यटन की किसी भी विषय में डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त की हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ङ) यदि कुछ लोग मिलकर समूह में इस योजनान्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन, किसी ग्राम अथवा कस्बा जिसका पर्यटन की दृष्टि से महत्व हो, में करते हैं तो उनको वरीयता दी जायेगी, जिससे पर्यटन ग्राम की कल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकेगा।

(च) इस योजना का एक उद्देश्य उत्तरांचल राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी स्वरोजगारोन्मुखी योजनाओं के लिये प्रोत्साहित करना है। अतः रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को क्रमशः 17 प्रतिशत व 4 प्रतिशत आरक्षण तथा अन्य पिछड़ी जातियों को 14 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों को 2 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जा सकता है।

5—प्रशिक्षण व्यवस्था :—

योजनाओं के दक्षतापूर्ण संचालन हेतु उन बेरोजगार उद्यमियों को प्राथमिकता दी जायेगी जो पर्यटन के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त हो, किन्तु विभिन्न जनपदों में ऐसे उद्यमियों के अभाव में योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिये जाने का प्राविधान किया जायेगा।

6—राजकीय सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु प्रयोजन :—

पूंजीगत राजकीय सहायता, निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये स्वीकृत की जा सकती है—

1—पर्यटकों की सुविधा हेतु, बस व टैक्सी को खरीदने तथा उसका संचालन प्रमुख स्थलों पर करने हेतु।

2—यात्रा मार्गों व पर्यटन स्थलों पर, फास्ट फूड केन्द्र/रैस्टोरेंट्स की स्थापना।

3—मोटर यानों की मरम्मत के लिये यात्रा मार्गों पर मोटर वर्कशाप गैराजों की स्थापना और ऐसे गैराजों का सुधार।

4—यात्रा मार्गों तथा पर्यटन स्थलों पर, छोटे—छोटे एक या दो कक्षीय साधना केन्द्र, या मोटेलनुमा 8—10 कक्षीय आवासीय सुविधा की स्थापना, पेइंग गैस्ट योजना।

5—रिवर राफ्टिंग के लिये चिन्हांकित स्थलों, ट्रैकिंग मार्गों, यात्रा परिपथों एवं अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों पर टैन्टेज, आवासीय सुविधाओं की स्थापना।

6—पर्यटन स्थलों पर स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्रों की स्थापना।

7—पी०सी०ओ० तथा आधुनिक सुविधाओं से सज्जित पर्यटक सूचना केन्द्र का निर्माण।

8—साहसिक खेलों के स्थलों पर साहसिक कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपकरणों (सुरक्षा कार्य हेतु उपयोग में आने वाले उपकरणों सहित) की व्यवस्था।

9—उत्तरांचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये किसी अन्य कार्य या क्रियाकलाप के लिये, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर, इस नियमावली के अधीन राजकीय सहायता देने के लिये अनुमोदित किया जाय। परन्तु राजकीय सहायता ऐसे पूंजी संकर्म की मदों पर व्यय के लिये दी जायेगी, जिन्हें वित्तीय संस्था/संस्थाओं बैंक/बैंकों से प्राप्त ऋण की सहायता से प्रारम्भ किया गया हो। पूंजी संकर्म के अन्तर्गत योजनाओं पर अनावर्तक व्यय ही मान्य होगा।

7—राजकीय सहायता की धनराशि :—

राजकीय सहायता की धनराशि, नियम—6 के अन्तर्गत वर्णित प्रयोजन हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 20 प्रतिशत या रु० 2.00 लाख, इसमें जो भी कम हो, से अधिक देय नहीं होगी। राजकीय सहायता राशि, सम्बद्ध बैंक/वित्तीय संस्थाओं को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के माध्यम से देय होगी तथा राजकीय सहायता बैंक के ऋण की पूरी अदायगी होने पर, बैंक द्वारा उद्यमी को अवमुक्त की जायेगी अथवा अन्तिम किस्त के रूप में बैंक द्वारा इसका समायोजन किया जायेगा। राजकीय सहायता की धनराशि उद्यमी के नाम पर सम्बन्धित बैंक की शाखा जहां से ऋण लिया जाना है में ऋण की अदायगी तक, फिक्स डिपाजिट के रूप में रखी जायेगी।

8—राजकीय सहायता दी जाने की अन्य शर्तें :—

1—राजकीय सहायता नियम—9 के अधीन गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुये, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, देहरादून द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

2—पूंजी संकर्म के अन्तर्गत केवल अनावर्तक प्रकार के व्यय की मदें होंगी। राजकीय सहायता की प्राप्ति के 10 वर्ष के भीतर, इस प्रकार सृजित आस्तियों का न तो निस्तारण किया जायेगा और, न ही उसका उपयोग उस प्रयोजन से जिसके लिये राजकीय सहायता दी गई है से, भिन्न किसी योजना के लिये किया जायेगा। इस प्रकार निर्मित भवन या भवन की वर्तमान संरचना में किये गये विस्तार, जिस पर राजकीय सहायता प्रदान की गई है, के सम्बन्ध में निजी उद्यमकर्ता, नियम—9 के अधीन गठित समिति द्वारा नियत किराये पर पर्यटकों को ऐसे भवनों में, सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये अनुमति प्रदान करने के लिये बाध्य होगा।

3—सम्बन्धित बैंक की शाखा बैंक की प्रतिभूति आदि के सम्बन्ध में, पूंजी निवेश सम्बन्धी बैंक द्वारा ली जाने वाली मार्जिन मनी, नियम—6 में वर्णित प्रयोजनों हेतु 12.5 प्रतिशत ली जायेगी। इसके अतिरिक्त बैंक की शाखा की प्रतिभूति आदि के सम्बन्ध में सामान्य उपबन्धों के अधीन, की गई सिफारिश पर ऋण देने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी। बैंक की विनिश्चय की सूचना सामान्यतः आवेदनकर्ता को

8—इस योजना के क्रियान्वयन का मामला जिलाधिकारी और बैंकों के बीच मासिक बैठक में कार्य सूची/परिचर्चा की एक मद होगा, जिसमें विलम्ब के कारणों के साथ-साथ विचाराधीन मामलों पर और, उनकी समस्याओं के निराकरण करने के लिये विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में त्रैमासिक विवरणी, जिले के प्रमुख (लीड) बैंक अधिकारी द्वारा सम्बद्ध जिलाधिकारी और क्षेत्रीय/जिला पर्यटक अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

9—चयन समिति की संरचना :—

उद्यमियों के चयन हेतु, एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो निम्नवत संरचित होगी—

1—	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद	अध्यक्ष
2—	मण्डलीय विकास निगमों के प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित महाप्रबन्धक	सदस्य
3—	सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो अपर जिलाधिकारी (ए0डी0एम0) से निम्न स्तर का न हो	सदस्य
4—	विशेष कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन, उत्तरकाशी/अल्मोड़ा	
5—	उत्तरांचल के तीनों लीड बैंकों के प्रबन्धक	सदस्य
6—	सम्बन्धित मण्डलीय अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) उत्तरांचल पावर कारपोरेशन	सदस्य सदस्य
7—	नाबर्ड के प्रतिनिधि	
8—	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
9—	सम्बन्धित उप निदेशक पर्यटन/सहायक निदेशक पर्यटन/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/जिला पर्यटन अधिकारी	सदस्य सदस्य/सचिव

10—चयन प्रक्रिया :—

लाभार्थियों का चयन व्यापक प्रचार-प्रसार के उपरान्त, पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र (परिशिष्ट-"क") प्रस्तुत करने के पश्चात होगा। जांचोपरान्त उपयुक्त पाये गये आवेदकों के आवेदन पत्रों के आधार पर, चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार वर्ष में दो बार माह जून व दिसम्बर में चयन समिति द्वारा किया जायेगा। वर्ष की प्रथम बैठक हेतु उद्यमियों से आवेदन पत्र, माह अप्रैल तथा द्वितीय बैठक हेतु आवेदन पत्र, माह अक्टूबर तक आमंत्रित किये जायेंगे। जिनकी जांच माह मई व नवम्बर के प्रथम पखवाड़े तक, पूर्ण कर आवेदकों को यथास्थिति से अवगत कराया जा सकेगा। आवेदकों को आवेदन पत्र पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त होंगे तथा उन्हें अपने से सम्बन्धित जिले को क्षेत्रीय/जिला पर्यटन कार्यालय में आवेदन पत्र पूर्ण कर जमा कराने होंगे।

11—समिति के कृत्य :—

(अ) नियम-9 के अधीन गठित चयन समिति, प्रत्येक योजना का परीक्षण करेगी और साधारण बहुमत से पारित कर, स्वीकृत की जाने वाली राजकीय सहायता की सूचना सम्बद्ध बैंकों को देगी। पर्यटन समिति का सदस्य/सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के विनिश्चय की सूचना सम्बन्धित पक्षों को देगा।

(ब) समिति के माध्यम द्वारा समय-समय पर, योजना की सार्थकता एवं उपादेयता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एक प्रभावी अनुश्रवणात्मक व्यवस्था की जायेगी, जिससे वर्ष में छमाही आधार पर प्रत्येक लाभार्थी/पक्षों की परियोजना का भौतिक सत्यापन, जिसमें वाणिज्यिक सफलता का भी मूल्यांकन किया जायेगा। दुरुपयोग/दुर्विनियोग की अवस्था में, विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

12—योजना कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग :—

यह योजना पर्यटन विभाग उत्तरांचल द्वारा संचालित की जायेगी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, देहरादून द्वारा योजना हेतु विभिन्न वाणिज्यिक संस्थाओं, मण्डलीय निगमों, अधिकृत वित्तीय संस्थाओं से नोडल एजेन्सी के रूप में आवश्यक समन्वय किया जायेगा साथ ही योजना की [illegible] परिचालन, परिपुष्टता एवं आवश्यक अनुश्रवणात्मक व्यवस्थायें भी सुनिश्चित की जायेंगी। यदि लाभार्थी को योजना हेतु अन्य किसी विभाग यथा वन, पर्यावरण, ऊर्जा आदि से किसी प्रकार के [illegible] पत्र की आवश्यकता होने पर उसको उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

12.1—जिला स्तरीय योजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति :—

राज्य स्तरीय चयन समिति की संस्तुतियों के उपरान्त स्वीकृत प्रस्तावों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन/अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी :—

1—	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2—	लीड बैंकों के प्रतिनिधि	सदस्य
3—	उद्यमी विशेष को पोषित करने वाला बैंक के प्रबन्धक	सदस्य
4—	नाबार्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
5—	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/जिला पर्यटक अधिकारी	सदस्य

यह समिति जनपद में चयनित लाभार्थियों को नियमित वित्त पोषण, योजना की भौतिक प्रगति का क्रियान्वयन व अनुश्रवण एवं लाभार्थियों को वांछित विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों आदि हेतु कार्यवाही करेंगी। योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति से जिला स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति/पर्यटन निदेशालय को अवगत करायेंगी। जिन प्रकरणों पर जनपद स्तरीय निर्णय लेने में समर्थ न हो, उन्हें राज्य स्तरीय समिति/पर्यटन निदेशालय को सन्दर्भित करेगी।

13—ऋण का भुगतान :—

प्रमुख बैंक/वित्तीय संस्था, राजकीय सहायता का अनुमोदन किये जाने सम्बन्धी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् का आदेश प्राप्त होने पर, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ऋण देगी जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया जाय।

14—बैंकों का रिफाईनेन्स :—

बैंकों द्वारा दी जा रही ऋण राशियों हेतु, इस योजना के अधीन चिन्हित व्यवसायों में से अधिकांश हेतु नाबार्ड द्वारा बैंकों की नान फार्म सैक्टर की योजनाओं के अन्तर्गत पुर्नवित्त की सुविधा उपलब्ध होगी।

15—बैंक ऋण की अदायगी :—

1—उद्यमी को दिये गये ऋण की अदायगी/अधिस्थगन अवधि या प्रारम्भिक अवधि का निर्धारण सम्बन्धित बैंक द्वारा किया जायेगा।

2—ऋण के दुरुपयोग अथवा वापसी की अवधि की आधी अवधि से पूर्व, ऋण की वापसी पर ब्याज उपादान अनुमन्य नहीं होगा तथा भू—राजस्व के अवशेष की भांति इसकी वसूली की जा सकेगी इसके अतिरिक्त ऋण वसूली के लिए "पब्लिक डेब्ट रिकवरी एक्ट" के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

16—रिपोर्ट का सत्यापन :—

पूंजी संकर्म के पूरा होने की रिपोर्ट का सत्यापन सम्बन्धित क्षेत्रीय/जिला पर्यटक अधिकारी द्वारा किया जायेगा वे अपनी रिपोर्ट निदेशक पर्यटन, उत्तरांचल को प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर निदेशक, पर्यटन, उत्तरांचल आवंटित धनराशि, यथास्थिति बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं को देंगे।

17—लेखा परीक्षा :—

इस योजना हेतु शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के कोषागार स्थित पी०एल०ए० में जमा की जायेगी। योजना की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तरांचल प्रकोष्ठ, इलाहाबाद द्वारा की जायेगी।

राजकीय सहायता के भुगतान की स्वीकृति के समस्त आदेशों की एक प्रति महालेखाकार, उत्तरांचल प्रकोष्ठ, इलाहाबाद, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, उत्तरांचल शासन, पर्यटन अनुभाग और वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग को पृष्ठांकित की जायेगी।

18—प्रकीर्ण :—

1—परियोजना के बनाने में पर्यटन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी समस्त अपेक्षित सहायता देंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद योजना के निष्पादन के लिये उत्तरदायी होंगे।

2—योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई स्पष्टीकरण या सूचना अपेक्षित हो तो पर्यटन अनुभाग, उत्तरांचल शासन, का विनिश्चय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

(एन०एन० प्रसाद)

उत्तरांचल शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या–524(1)/प0अ0/2002–117 पर्य0/2001
देहरादून:दिनांक 20.0.2002

शुद्धिपत्र अधिसूचना

उत्तरांचल में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित किये जाने हेतु पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली–2002 विषयक शासकीय अधिसूचना संख्या 427/प0अ0/2002–117 पर्य0/2001 दिनॉक 17 मई, 2002 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– अधिसूचना के प्रस्तर–1 (1) में नियमावली का नाम 'वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार नियमावली, 2002' पढ़ा जाय।

2– अधिसूचना के विभिन्न प्रस्तरों में, जहां भी पर्यटन विभाग शब्द अंकित हुआ है, उसके स्थान पर उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद पढ़ा जाय।

3– अधिसूचना के विभिन्न प्रस्तरों में जहां भी पर्यटन निदेशालय अंकित हुआ है, उसके स्थान पर उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद पढ़ा जाय।

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

पृ0प0सं0– /(1)प0अ0/2002–117 पर्य0/2001, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद ।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल राज्य।
3– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दिनॉक के असाधारण गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
सं0 – / वि0 अनु0–5/ स्टाम्प/ 2003
देहरादून: दिनांक: 15 सितम्बर, 2003

अधिसूचना।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा–9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रू0 10.00(दस) लाख की सीमा तक के ऋण प्राप्त करने के लिये बैंक के पक्ष में निष्पादित भूमि के पंजीकृत बन्धक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट देने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–317(1)/वित्त अनु0–5/स्टाम्प/2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव एवं आयुक्त, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3– महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
4– महालेखाकार, उत्तरांचल, सत्यनिष्ठाभवन, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
5– उपनिदेशक, राजकीय प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (व) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200 प्रतिया वित्त अनुभाग–5 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6– न्याय/ विधायी अनुभाग।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

15/9/2003
(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव

Stamp.krishi.Doc

22.9.03

उत्तरांचल शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या–529/VI/2005–117(पर्य0)/2001
सचिवालय,देहरादून,दिनांक: 21 सितम्बर, 2005

अधिसूचना/प्रकीर्ण

श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 की धारा–20 की उपधारा(1) के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली, 2002 को अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली–2002 (प्रथम संशोधन नियमावली–2005) " कही जायेगी।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4–राजकीय सहायता दिये जाने हेतु पात्रता :– (ख) जहां योजना क्रियान्वयन हेतु भूमि अपेक्षित हो, उस प्रयोजन हेतु भूमि का स्वामी हो।	4–राजकीय सहायता दिये जाने हेतु पात्रता – (ख) जहां योजना क्रियान्वयन हेतु भूमि अपेक्षित हो, उस प्रयोजन हेतु भूमि का स्वामी हो अथवा भूमि आवेदक के निकट सम्बन्धी के नाम होने पर भूमि को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में बन्धक स्वरूप स्वीकार किया जायेगा परन्तु यदि भू–स्वामी आवेदक के साथ सहऋणी अथवा जमानती के रूप में सहभागी बने, तो अनुदान की राशि, केवल आवेदक को देय होगी परन्तु यह और कि पट्टे की भूमि पर भी आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है यदि पट्टा विलेख की अवधि ऋण अदायगी, की अवधि से अधिक हो।
7– राजकीय सहायता की धनराशि– राजकीय सहायता की धनराशि नियम–6 के अन्तर्गत वर्णित प्रयोजन हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 20 प्रतिशत या रू0 2.00 लाख, इसमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। राजकीय सहायता सीधे सम्बद्ध बैंक/वित्तीय संस्थाओं को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन	7– राजकीय सहायता की धनराशि– राजकीय सहायता की धनराशि नियम–6 के अन्तर्गत वर्णित प्रयोजन हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 25 प्रतिशत या रू0 3.75 लाख, इसमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। राजकीय सहायता सीधे सम्बद्ध बैंक/वित्तीय संस्थाओं को संबन्धित जिलाधिकारी, के माध्यम से देय होगी तथा राजकीय सहायता बैंक के

तथा राजकीय सहायता बैंक के ऋण की पूरी अदायगी होने पर, बैंक द्वारा उद्यमी को अवमुक्त की जायेगी अथवा अन्तिम किस्त के रूप में बैंक द्वारा इसका समायोजन किया जायेगा। राजकीय सहायता की धनराशि उद्यमी के नाम पर सम्बन्धित बैंक की शाखा जहां से ऋण लिया जाना है में ऋण की अदायगी तक, फिक्स डिपाजिट के रूप में रखी जायेगी।	उद्यमी को अवमुक्त की जायेगी अथवा किस्त के रूप में बैंक द्वारा इसका समायोजन किया जायेगा। राजकीय सहायता की धनराशि सम्बन्धित बैंक शाखा में लाभार्थी के नाम पर चालू खाता खोल कर रखी जायेगी जिस पर न तो बैंक द्वारा ब्याज दिया जायेगा और ऋण की धनराशि में से इस धनराशि को घटाकर शेष धनराशि पर लाभार्थी से लिये जाने वाले ब्याज की गणना की जायेगी।
8— राजकीय सहायता दी जाने की अन्य शर्तें:— 1— राजकीय सहायता नियम—9 के अधीन गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुये, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, देहरादून द्वारा स्वीकृत की जायेगी।	8— राजकीय सहायता दिये जाने की अन्य शर्तें:— 1— राजकीय सहायता का भुगतान नियम—9 के अधीन गठित समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर एकमुश्त राशि के रूप में योजना पूर्ण होने पर संबन्धित बैंक शाखा जहां से आवेदक द्वारा ऋण लिया गया है को यथासम्भव एक माह के भीतर सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित शाखा बैंक प्रबन्धक, अथवा उनका प्रतिनिधि जिनके द्वारा आवेदक को ऋण निर्गत किया गया है के संयुक्त निरीक्षण एवं परियोजना पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त किया जायेगा।
9— चयन समिति की संरचना उद्यमियों के चयन हेतु एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो निम्नवत संरचित होगी। 1— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद— अध्यक्ष 2— मण्डलीय विकास निगमों के प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित महाप्रबन्धक — सदस्य 3— सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो अपर जिलाधिकारी(ए0डी0एम0) से निम्नस्तर का न हो सदस्य 4— विशेष कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन, उत्तरकाशी/अल्मोडा सदस्य 5—उत्तरांचल के तीनों लीड बैंकों के प्रबन्धक सदस्य	9— चयन समिति की संरचना उद्यमियों के चयन एवं योजना के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु एक चयन/कियान्वयन/अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी— 1—जिलाधिकारी — अध्यक्ष 2—मुख्य विकास अधिकारी सदस्य 3—जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक सदस्य 4—महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र सदस्य 5— नाबार्ड का प्रतिनिधि सदस्य 6— परिवहन विभाग का प्रतिनिधि सदस्य 7—क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/जिला पर्यटन विकास अधिकारी सदस्य/सचिव यह समिति जनपद में आवेदकों के चयन, लाभार्थियों को नियमित वित्त पोषण, योजना की भौतिक प्रगति का कियान्वयन व अनुश्रवण एवं लाभार्थियों को वांछित विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों आदि हेतु कार्यवाही करेगी। उपरोक्त गठित समिति के कृत्यों का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी का होगा। यह समिति

6– सम्बन्धित मण्डलीय अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन सदस्य 7–नाबार्ड के प्रतिनिधि सदस्य 8–सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य 9– सम्बन्धित उप निदेशक पर्यटन/ सहायक निदेशक पर्यटन/ क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/जिला पर्यटन विकास अधिकारी सदस्य/सचिव	योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति से उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, मुख्यालय को अवगत करायेगी । जिन प्रकरणों पर समिति निर्णय लेने में असमर्थ हो उन्हें उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद/शासन को संदर्भित करेगी। आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी द्वारा इस समिति में अन्य विभागों के अधिकारियों अथवा आवेदकों एवं विशेषज्ञों को भी आवश्यकतानुसार आंमत्रित किया जा सकता है। क्षेत्रविशेष की परिस्थितियों तथा आवेदनकर्त्ताओं की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए वनविभाग, नक्शापास करने वाले प्राधिकारी, नगरपालिका आदि के प्रतिनिधियों को भी बैठक हेतु विशेष आंमत्री के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आंमत्रित किया जा सकता है।
10– चयन प्रकिया लाभार्थियों का चयन व्यापक प्रचार–प्रसार के उपरान्त पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र (परिशिष्ट–"क") प्रस्तुत करने के पश्चात होगा। जांचोपरान्त उपयुक्त पाये गये आवेदकों के आवेदन पत्रों के आधार पर, चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा । साक्षात्कार वर्ष में दो बार माह जून व दिसम्बर में चयन समिति द्वारा किया जायेगा। वर्ष की प्रथम बैठक हेतु उद्यमियों से आवेदन पत्र माह अप्रैल तथा द्वितीय बैठक हेतु आवेदन पत्र, माह अक्टूबर तक आमंत्रित किये जायेगे। जिनकी जांच माह मई व नवम्बर के प्रथम पखवाडे तक, पूर्ण कर आवेदकों को यथास्थिति से अवगत कराया जा सकेगा । आवेदकों को आवेदन पत्र पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त होगे तथा उन्हें अपने से सम्बन्धित जिले के क्षेत्रीय/जिला पर्यटन विकास कार्यालय में आवेदन पत्र पूर्ण कर जमा कराने होगे ।	10– चयन प्रकिया लाभार्थियों का चयन व्यापक प्रचार–प्रसार के उपरान्त पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र (परिशिष्ट–"क") प्रस्तुत करने के पश्चात होगा। आवेदन पत्र को उचित ढ़ग से भरने व उसके साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों के विवरण की समस्त जानकारी आवेदक को देने का दायित्व सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी का होगा। जांचोपरान्त उपयुक्त पाये गये आवेदकों के आवेदन पत्रों के आधार पर चयन किया जायेगा । चयन समिति द्वारा कम से कम प्रत्येक दो माह में एक बार बैठक अवश्य निर्धारित कर चयन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी। आवेदकों को आवेदन पत्र पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से वर्षपर्यन्त प्राप्त होगे तथा उन्हें अपने से सम्बन्धित जिले के क्षेत्रीय/जिला पर्यटन विकास कार्यालय में वर्ष में कभी भी पूर्ण कर जमा कराया जा सकता है। आवेदन पत्र निशुल्क दिये जायेगे तथा विभाग की वेबसाईट से भी प्राप्त किये जा सकेगे। योजना विवरण पुस्तिका रू0–5 प्रति पुस्तिका की दर से उपलब्ध कराई जायेगी किन्तु योजना के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से इंछित संख्या में विवरण पुस्तिकायें जिलाधिकारी द्वारा निशुल्क भी दी जा सकेगीं।
12.1– जिला स्तरीय योजना कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति:– राज्य स्तरीय चयन समिति की	12.1– लोप किया गया

संस्तुतियों के उपरान्त स्वीकृत प्रस्तावों के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन/अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्ष में एक समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:— 1— जिलाधिकारी अध्यक्ष 2— जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक सदस्य 3— उद्यमी विशेष को पोषित करने वाला बैंक के प्रबन्धक सदस्य 4— नाबार्ड के प्रतिनिधि सदस्य 5— क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/ जिला पर्यटन विकास अधिकारी सदस्य/सचिव यह समिति जनपद में चयनित लाभार्थियों को नियमित वित्त पोषण, योजना की भौतिक प्रगति का क्रियान्वयन व अनुश्रवण एवं लाभार्थियों को वांछित विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों आदि हेतु कार्यवाही करेगी। योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति से जिला स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति/पर्यटन निदेशालय को अवगत करायेगी। जिन प्रकरणों पर जनपद स्तरीय समिति [illegible] समय में हो उन्हें राज्य स्तरीय समिति /पर्यटन निदेशालय को संदर्भित करेगी।	
6—राजकीय सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु प्रयोजन:— [illegible]	6— राजकीय सहायता स्वीकृति किये जाने हेतु प्रयोजन:— (10) उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त क्षेत्र विशेष के आकर्षणों एवं विशेषताओं के अनुरूप कोई अभिनव परियोजना भी किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। जिला स्तर समिति द्वारा इस पर विचार किया जायेगा एवं इसे सम्मिलित करने हेतु अपनी संस्तुति के साथ उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
18—प्रकीर्ण [illegible]	18—प्रकीर्ण (3) इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभार्थियों को लाभान्वित करना एवं अधिक से अधिक अच्छी पर्यटन इकाईयों को सृजित करना

	है। अतः योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा। योजना के प्रचार प्रसार हेतु पर्याप्त योजना पुस्तिकायें जिला उद्योग केन्द्रों, खंड विकास अधिकारियों एवं गढ़वाल एंवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटन आवास गृहों को भी उपलब्ध करायी जायेंगी।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– /VI/2005–117(पर्य0)/2001,तददिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी,उत्तरांचल।
4– समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
5– निदेशक, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– उपनिदेशक, राज्कीय मुद्रणालय, रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 21 सितम्बर,2005 के असाधारण राजपत्र में करने का कष्ट करें।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

क्रम संख्या–65

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 10 मई, 2007 ई0
बैशाख 20, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

पर्यटन विभाग

संख्या 40/VI/2006–117(पर्य0)/2001
देहरादून, 10 मई, 2007

अधिसूचना/प्रकीर्ण

श्री राज्यपाल, उत्तरांखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 की धारा 20 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग करके वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2007" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–7 का प्रतिस्थापन

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली, 2002 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गए वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

विद्यमान नियम स्तम्भ–1	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम स्तम्भ–2
7. राजकीय सहायता की धनराशि :– राजकीय सहायता की धनराशि नियम–6 के अन्तर्गत वर्णित प्रयोजन हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 25 प्रतिशत या रु0 3.75 लाख, इसमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। राजकीय सहायता सीधे सम्बद्ध बैंक/वित्तीय संस्थाओं को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से देय होगी तथा राजकीय सहायता बैंक के ऋण की पूरी अदायगी होने पर,	7. राजकीय सहायता की धनराशि :– राजकीय सहायता की धनराशि नियम–6 के अन्तर्गत वर्णित प्रयोजन हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 25 प्रतिशत या रु0 5 लाख, इसमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। राजकीय सहायता सीधे सम्बद्ध बैंक/वित्तीय संस्थाओं को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से देय होगी तथा राजकीय सहायता बैंक के ऋण की पूरी अदायगी होने पर, बैंक द्वारा उद्यमी

उत्तराखण्ड शासन
संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1
संख्या:–(m 1673)/VII(1)/2011–117(पर्य0)/2001
देहरादून: दिनांक 30 नवम्बर, 2011

अधिसूचना/प्रकीर्ण

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम–2001 की धारा–20 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली–2002 के अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम/प्रारम्भ:–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (तृतीय संशोधन) नियमावली–2011" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–7 का प्रतिस्थापन

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली 2002, यथा संशोधन नियमावली–2007 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

विद्यमान नियम स्तम्भ–1	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम स्तम्भ–2
7. राजकीय सहायता की धनराशि :– राजकीय सहायता की धनराशि नियम–6 के अन्तर्गत वर्णित प्रयोजन हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 25 प्रतिशत या ₹ 5.00 लाख, इसमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। राजकीय सहायता सीधे सम्बद्ध बैंक/वित्तीय संस्थाओं को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से देय होगी तथा राजकीय सहायता बैंक के ऋण की पूरी अदायगी होने पर, बैंक द्वारा उद्यमी को अवमुक्त की जायेगी अथवा अन्तिम किश्त के रूप में बैंक द्वारा इसका समयोजन किया जायेगा। राजकीय सहायता की धनराशि सम्बन्धित बैंक शाखा में लाभार्थी के नाम पर चालू खाता खोलकर रखी जायेगी, जिस पर न तो बैंक द्वारा ब्याज दिया जायेगा और ऋण की धनराशि में से इस धनराशि को घटाकर शेष धनराशि पर लाभार्थी से लिये जाने वाली ब्याज की गणना की जायेगी।	7. राजकीय सहायता की धनराशि :– राजकीय सहायता की धनराशि नियम–6 के अन्तर्गत वर्णित प्रयोजन हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 25 प्रतिशत या ₹ 10.00 लाख, इसमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। राजकीय सहायता सीधे सम्बद्ध बैंक/वित्तीय संस्थाओं को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से देय होगी तथा राजकीय सहायता बैंक के ऋण की पूरी अदायगी होने पर, बैंक द्वारा उद्यमी को अवमुक्त की जायेगी अथवा अन्तिम किश्त के रूप में बैंक द्वारा इसका समयोजन किया जायेगा। राजकीय सहायता की धनराशि सम्बन्धित बैंक शाखा में लाभार्थी के नाम पर चालू खाता खोलकर रखी जायेगी, जिस पर न तो बैंक द्वारा ब्याज दिया जायेगा और ऋण की धनराशि में से इस धनराशि को घटाकर शेष धनराशि पर लाभार्थी से लिये जाने वाली ब्याज की गणना की जायेगी।

आज्ञा से,

(डा0 एस0एस0 संधू)
सचिव।

संख्याः–1673 /VI(1)/2011–117(पर्य0)/2001, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् देहरादून।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वे कृपया इ
अधिसूचना का प्रकाशन करने का कष्ट करें।
8– गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन मा0 मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुपालन के सूचनार्थ।
9– मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या–33/XXVII(9)/स्टाम्प/2008
देहरादून, दिनांक 31 मार्च, 2008

अधिसूचना

संख्या : 1172 VII
देहरादून, दिनांक 2.4.04

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्य
एवं समीचीन है;

अतः भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 व
उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, इस अधिसूचना
के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने की तारीख से वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन
स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रू0 20.00 (बीस) लाख की सीमा तक के ऋण प्राप्त करने व
लिये बैंक के पक्ष में निष्पादित भूमि के पंजीकृत बन्धक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छू
देने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

(राकेश शर्मा)
सचिव,
पर्यटन, संस्कृति, ... कार्य एवं ...
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या–33(1)/XXVII(9)/स्टाम्प/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5– उपनिदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुए उसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6– न्याय/विधायी अनुभाग।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 ...)
अपर सचिव।

(श्याम सिंह)
अनु सचिव
पर्यटन, संस्कृति एवं ... विभाग
उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1
संख्याः– 1649 /VI(1)/2012–117(पर्य0)/2001
देहरादूनः दिनांक 05 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2012

पर्यटन निदेशालय
पटेल नगर, देहरादून।
प्राप्ति सं. 2116
दिनांक 7-12-12

अधिसूचना / प्रकीर्ण

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम–2001 की धारा–20 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली–2002 के अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

1. **संक्षिप्त नाम प्रारम्भः–**
   (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली–2012" है।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–7 का प्रतिस्थापन

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली 2002 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के साथ स्तम्भ–2 में उल्लिखित प्रस्तर भी जोड़ दिया जायेगा, अर्थात :–

विद्यमान नियम **स्तम्भ–1**	**एतद् द्वारा जोड़े जाने वाला प्रस्तर** **स्तम्भ–2**
7. राजकीय सहायता की धनराशि :– राजकीय सहायता की धनराशि नियम–6 के अन्तर्गत वर्णित प्रयोजन हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 25 प्रतिशत या ₹ 10.00 लाख, इसमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। राजकीय सहायता सीधे सम्बद्ध बैंक/वित्तीय संस्थाओं को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से देय होगी तथा राजकीय सहायता बैंक के ऋण की पूरी अदायगी होने पर, बैंक द्वारा उद्यमी को अवमुक्त की जायेगी अथवा अन्तिम किश्त के रूप में बैंक द्वारा इसका समयोजन किया जायेगा। राजकीय सहायता की धनराशि सम्बन्धित बैंक शाखा में लाभार्थी के नाम पर चालू खाता खोलकर रखी जायेगी, जिस पर न तो बैंक द्वारा ब्याज दिया जायेगा और ऋण की धनराशि में से इस धनराशि को घटाकर शेष धनराशि पर लाभार्थी से लिये जाने वाली ब्याज की गणना की जायेगी।	राजकीय सहायता की धनराशि पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु नियम–6 में वर्णित प्रयोजन के लिये (गैर वाहन मद में) पूंजी संकर्म की लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 15.00 लाख, इसमें जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी। पर्वतीय क्षेत्रों के निर्धारण हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए घोषित **"विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008"** एवं उस पर समय–समय पर किये गये/किये जाने वाले संशोधनों के आधार पर परिभाषित पर्वतीय क्षेत्रों को इस योजना हेतु पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

आज्ञा से,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

6/12/12

...2

संख्याः–1649 /VI(1)/2012–117(पर्य0)/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वे कृपया इस अधिसूचना का प्रकाशन करने का कष्ट करें।
8– गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन मा0 मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुपालन के सूचनार्थ।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।

2631
6-9-13

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9

संख्या– 396/XXVII(9)/2013/यू0ओ0नं0–03/स्टाम्प/2013
देहरादून:: दिनांक 27 अगस्त, 2013

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करन आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के तारीख से वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली, पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में गैर वाहन मद हेतु ₹ 45.00 लाख तथा अन्य स्थलों के लिये गैर वाहन मद हेतु ₹ 40.00 लाख की सीमा तक के ऋण प्राप्त करने के लिये बैंक के पक्ष में निष्पादित भूमि के पंजीकृत बन्धक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– (1)/XXVII(9)/2013/यू0ओ0नं0–03/स्टाम्प/2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. उप–निदेशक, लिथो प्रेस, रूड़की को हिन्दी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 100 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग–9 को उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(सौजन्या)
अपर सचिव।

क्रम संख्या–37 (क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 10 मार्च, 2015 ई0
फाल्गुन 19, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या 291/VI/2015–117(पर्य0)/2001
देहरादून, 10 मार्च, 2015

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 427/प0अ0/2002–117 पर्य0/2001, दिनांक 17 मई, 2002 द्वारा प्रख्यापित "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार नियमावली, 2002" के नियम–6 'राजकीय सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु प्रयोजन' के उपनियम–9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश में जलक्रीड़ा के क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पूंजीगत राजकीय सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित प्रयोजनों में नाव (Boat) का क्रय एवं संचालन को भी सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 पर्यटन/179–2015–100+50 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्याः– /VI(1)/2018–117(पर्य0)/2001
देहरादूनः दिनांक 27 नवम्बर, 2018

SD(UTS)/SRO/SAO(C)
28/11 HD

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम 2001 की धारा 20 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (संशोधन) नियमावली, 2018" को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः– (1)/VI(1)/2018–117(पर्य0)/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, हरिद्वार को "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (संशोधन) नियमावली, 2018" की अधिसूचना एवं नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी प्रति संलग्नकों सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया साधारण गजट में प्रकाशनार्थ अधिसूचना तथा संलग्न नियमावली की 300 मुद्रित प्रतियां तैयार कराकर तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।

संख्याः–2126 (2)/VI(1)/2018–117(पर्य0)/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त नियमावली की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
6. अपर सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्याः—2126 / VI(1) / 2018—117(पर्य0) / 2001
देहरादूनः दिनांक 27 नवम्बर, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम 2001 की धारा 20 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली, 2002" में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :—

"वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (संशोधन) नियमावली, 2018"

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम **"वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (संशोधन) नियमावली, 2018"** है।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का संशोधन 2. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली, 2002 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :—

स्तम्भ—1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ—2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
6—राजकीय सहायता स्वीकृत किए जाने हेतु प्रयोजन पूंजीगत राजकीय सहायता, निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए स्वीकृत की जा सकती है :—	**6—राजकीय सहायता स्वीकृत किए जाने हेतु प्रयोजन** पूंजीगत राजकीय सहायता, निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए स्वीकृत की जा सकती है :—
1. पर्यटकों की सुविधा हेतु बस व टैक्सी को खरीदने तथा उसका संचालन प्रमुख स्थलों पर करने हेतु।	1. पर्यटकों की सुविधा हेतु बस व टैक्सी को खरीदना तथा उसका संचालन प्रमुख स्थलों पर करना।
2. यात्रा मार्गो व पर्यटन स्थलों पर फास्ट फूड केन्द्र / रैस्टोरेंट्स की स्थापना।	2. यात्रा मार्गो व पर्यटन स्थलों पर फास्ट फूड केन्द्र / रैस्टोरेंट्स की स्थापना।
3. मोटर यानों की मरम्मत के लिए यात्रा मार्गो पर मोटर वर्कशाप गैसजों की स्थापना और ऐसे गैराजों का सुधार।	3. मोटर यानों की मरम्मत के लिए यात्रा मार्गो पर मोटर वर्कशाप गैराजों की स्थापना और ऐसे गैराजों का सुधार।

4. यात्रा मार्गो तथा पर्यटन स्थलों पर छोटे–छोटे एक या दो कक्षीय साधना केन्द्र या मोटेलनुमा 8–10 कक्षीय आवासीय सुविधा की स्थापना, पेइंग गैस्ट योजना।

5. रिवर राफ्टिंग के लिए चिन्हांकित स्थलों, ट्रैकिंग मार्गो, यात्रा परिपथों एवं अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों पर टैन्टेज, आवासीय सुविधाओं की स्थापना।

6. पर्यटन स्थलों पर स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्रों की स्थापना।

7. पी0सी0ओ0 तथा आधुनिक सुविधाओं से सज्जित पर्यटक सूचना केन्द्र का निर्माण।

8. साहसिक खेलों के स्थलों पर साहसिक कार्यकलापों के कियान्वयन हेतु आवश्यक उपकरणों (सुरक्षा कार्य हेतु उपयोग में आने वाले उपकरणों सहित) की व्यवस्था।

9. उत्तराखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये किसी अन्य कार्य या कियाकलाप के लिये जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस नियमावली के अधीन राजकीय सहायता देने के लिये अनुमोदित किया जाय, परन्तु राजकीय सहायता ऐसे पूंजी संकर्म की मदों पर व्यय के लिये दी जायेगी, जिन्हें वित्तीय संस्था/संस्थाओं, बैंक/बैंको से प्राप्त ऋण की सहायता से प्रारम्भ किया गया हो, पूंजी संकर्म के अन्तर्गत योजनाओं पर अनावर्तक व्यय ही मान्य होगा।

10. उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त क्षेत्र विशेष के आकर्षणों एवं विशेषताओं के अनुरूप कोई अभिनव परियोजना भी किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है, जिला स्तर समिति द्वारा इस पर विचार किया जायेगा एवं इसे सम्मिलित करने हेतु अपनी संस्तुति के साथ उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

4. पेइंग गैस्ट योजना के अन्तर्गत यात्रा मार्गो तथा पर्यटन स्थलों पर छोटे–छोटे एक या दो कक्षीय साधना केन्द्र या मोटेलनुमा 8–10 कक्षीय आवासीय सुविधा की स्थापना, ।

5. रिवर राफ्टिंग के लिए चिन्हांकित स्थलों, ट्रैकिंग मार्गो, यात्रा परिपथों एवं अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों पर टैन्टेज, आवासीय सुविधाओं की स्थापना।

6. पर्यटन स्थलों पर स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्रों की स्थापना।

7. आधुनिक सुविधायुक्त पर्यटन सूचना केन्द्र।

8. साहसिक खेलों के स्थलों पर साहसिक कार्यकलापों के कियान्वयन हेतु आवश्यक उपकरणों (सुरक्षा कार्य हेतु उपयोग में आने वाले उपकरणों सहित) की व्यवस्था।

9. उत्तराखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कोई अन्य कार्य या कियाकलाप जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस नियमावली के अधीन राजकीय सहायता देने के लिये अनुमोदित किया जाय, परन्तु राजकीय सहायता ऐसे पूंजी संकर्म की मदों पर व्यय के लिये दी जायेगी, जिन्हें वित्तीय संस्था/संस्थाओं या बैंक/बैंकों से प्राप्त ऋण की सहायता से प्रारम्भ किया गया हो, पूंजी संकर्म के अन्तर्गत योजनाओं पर अनावर्ती व्यय ही मान्य होगा।

10. उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त क्षेत्र विशेष के आकर्षणों एवं विशेषताओं के अनुरूप कोई अभिनव परियोजना भी किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है, जिला स्तर समिति द्वारा इस पर विचार किया जायेगा एवं इसे सम्मिलित करने हेतु अपनी संस्तुति के साथ उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

11. क्याकिंग/नाव का क्रय एवं संचालन

12. पर्यटन हेतु टेरेन बाइक्स (Terrain Bikes) (न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 10) के क्रय हेतु।

13. कैरावैन/मोटर होम टूरिज्म।

14. एंगलिंग उपकरणों का क्रय।

15. स्टार गेजिंग एवं बर्डवांचिंग हेतु उपकरणों का क्रय।

16. लॉन्ड्री की स्थापना।

17. बेकरी को स्थापित किया जाना।

18. स्मरणीय वस्तु (मैमोराबिलिया) युक्त संग्रहालय का निर्माण एवं मैमोराबिलिया/स्मारिका (SOUVENIR) केन्द्र की स्थापना।

19. फ्लोटिंग होटल का निर्माण।

20. ट्रैकिंग उपकरणों, सूट, जैकेट इत्यादि को किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु केन्द्रों की स्थापना।

21. हर्बल टूरिज्म।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. /VI(1)/2018-117(Tourism)/2001, dated November, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Tourism section
No:-२।२६ /VI(1)/ 2018-117 (Tourism)/ 2001
Dehradun: Date २७ November, 2018

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the "Uttarakhand Tourism Development Board ACT 2001 read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand) the Governor is pleased to make the following Rules to further amend the Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Self Employment Scheme Rules ,2002

The Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Self Employment Scheme (Amendment) Rules, 2018

Short title & commencement

1. (1) These rules may be called the "Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Self Employment Scheme (Amendment) Rules,2018"

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 6

2. In the Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Self Employment Scheme Rules, 2002, for the existing Rule 6 set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby Substituted
6- Purpose for approval of government subsidy Government capital subsidy may be sanctioned for any one or more of the following purposes:-	**6- Purpose for approval of government subsidy** Government capital subsidy may be sanctioned for any one or more of the following purposes:-
1. For the purchasing of buses and taxies for convenience of tourists and operating it on principal sites.	1. Purchasing of buses and taxies for convenience of tourists and operating it on principal sites.
2. Establishment of fast food Center/ Restaurants on travel routes and tourist places.	2. Establishment of fast food Center/ Restaurants on travel routes and tourist places.
3. Establishment of motor workshop garages on the travel routes for the repair of motor vehicles and improvement of such garages.	3. Establishment of motor workshop garages on the travel routes for the repair of motor vehicles and improvement of such garages.
4. Establishment of small meditation center of one or two rooms or motel type accommodation facility of 8-10 rooms on travel routes and tourist places under paying guest scheme.	4. Establishment of small meditation center of one or two rooms or motel type accommodation facility of 8-10 rooms on travel routes and tourist places under paying guest scheme.
5. Establishment of tentage	5. Establishment of tentage

accommodation facilities at the sites identified for river rafting, trekking routes, travel circuits and lesser known tourist places..

6. Establishment of local symbolic goods sales centers at tourist places.

7. P.C.O and Modern convenient tourist Information Centers .

8. Arrangement of necessary equipments (including equipments used for safety purpose) for the implementation of adventure activities at adventure sports sites.

9. For promoting tourism in Uttarakhand, for any other work or activity that may be approved by the State Government to provide subsidy under these Rules, from time to time but government subsidy shall be given expenditure, on such items of capital work, which have been incurred from the loan taken from the financial institute/institutes/ bank/banks, only non-recurring expenditure shall be admissible on the schemes under capital works.

accommodation facilities at the sites identified for river rafting, trekking routes, travel circuits and lesser known tourist places.

6. Establishment of local symbolic goods sales centers at tourist places.

7. Modern convenient tourist Information Centers.

8. Arrangement of necessary equipments (including equipments used for safety purpose) for the implementation of adventure activities at adventure sports sites .

9. Any other work or activity for promoting tourism in Uttarakhand, that may be approved by the State Government to provide subsidy under these Rules, from time to time but government subsidy shall be given for expenditure, on such items of capital work, which have been started from the loan taken from the financial institute/institutes/ bank/banks, only non-recurring expenditure shall be admissible on the schemes under capital works.

10. In addition ot the above mentioned schemes, any innovative project may be produced by any applicant according to the features and attractions of the area, it shall be considered by the District Level Committee and shall be presented along with its recommendation to the Uttaranchal Tourism Development Board for comprising it .

10. In addition ot the above mentioned schemes, any innovative project may be produced by any applicant according to the features and attractions of the particular area, it shall be considered by the District Level Committee and shall be forwarded along with its recommendation to the Uttaranchal Tourism Development Board for comprising it.

11. Purchase and operation of kayaking/ Boat.

12. Purchase of Terrain Bikes for tourism (minimum 5 and maximum 10).

13. Caravan/ Motor Home for tourism .

14. Purchase of angling equipments.

15. Purchase of instruments for star gazing and bird watching.

16. Establishment of laundry.

17. Establishment of bakery.

18. Construction of a museum contained with memorabilia goods and the

establishment of memorabilia/ souvenir selling center.

19. Construction of floating hotels.

20. Establishment of centres for providing trekking equipments, suits, jackets etc on rent.

21. Herbal Tourism.

By Order

(Dilip Jawalkar)
Secretary